

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

8वां, 7वां एवं 8वां तल, स्टावर रोड, मन्दसौर, दिल्ली-110029

सौराजी भवन, नई दिल्ली-110029

याचिका सं. 491/टीएल/2024

दिनांक: 3.3.2025

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

पावरग्रिड कुरावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, बी-9, कुतुब इस्टीमेट्समल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110018 द्वारा निम्नलिखित घटकों को शामिल करते हुए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अंतरण आधार (जिसे इसके पश्चात "परियोजना" कहा गया है) पर "सजस्थान आरईजेड फेज-IV (पार्ट-2.55 जीडब्ल्यू) (जिसलमेर/बाड़मेर कॉम्प्लेक्स) : पार्ट एच1 से विद्युत की निकासी के लिए अंतर-राज्यिक पारेषण मण्डली" स्थापित करने हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धाराओं 14 और 15 के अधीन आवेदन किया गया है:

क्र. सं.	पारेषण घटक का नाम	प्रभावी तारीख से मास में अनुसूचित सीओडी	वे घटक जो संबंधित घटक के वाणिज्यिक प्रचालन (सीओडी) की घोषणा के लिए पूर्वापेक्षित हैं।
1.	<p>2x330 एमवीएआर 765 केवी बस रिएक्टर और 1x125 एमवीएआर, 420 केवी बस रिएक्टर सहित 765 / 400 केवी (2x1500 एमवीए), 400 / 220 केवी (2x500 एमवीए) एवं 220 / 132 केवी (3x200 एमवीए) कुरावर एम / एस की स्थापना।</p> <ul style="list-style-type: none"> 765 / 400 केवी 1500 एमवीए आईसीटी-2 एक स्पेयर यूनिट सहित 500 एमवीए का सिगल यूनिट) 400 / 220 केवी 500 एमवीए आईसीटी-2 220 / 132 केवी 200 एमवीए आईसीटी-3 500 केवी आइसीटी बे-2 400 केवी आइसीटी बे-4 400 केवी आइसीटी बे-5 220 केवी आइसीटी बे-3 3x10 एमवीएआर 765 केवी बस रिएक्टर-2 3x15 एमवीएआर 420 केवी बस रिएक्टर-1 765 केवी रिएक्टर बे-2 765 केवी लाइन बे-4 400 केवी लाइन बे-4 400 केवी रिएक्टर बे-1 220 केवी बीसी-1 220 केवी टीबीसी-1 132 केवी टीबीसी-1 110 एमवीएआर, 765 केवी, 1-पीएच रिएक्टर (स्पेयर यूनिट)-1 80 एमवीएआर, 765 केवी, 1-पीएच रिएक्टर (स्पेयर यूनिट)-1 <p>भावी प्रावधान : के लिए स्थान</p> <ul style="list-style-type: none"> बे सहित 765 / 400 केवी आईसीटी-4 नं. स्विचेबल लाइन रिएक्टर सहित 765 केवी लाइन बे-8 नं. बे सहित 765 केवी बस रिएक्टर: 2 नं. 765 केवी सेक्शनलाइजर बे: 1 सेट स्विचेबल लाइन रिएक्टर सहित 400 केवी लाइन बे - 8 नं. बे सहित 400 / 220 आईसीटी - 6 नं. बे सहित 420 केवी बस रिएक्टर: 3 नं. 400 केवी सेक्शनलाइजेशन बे: 1 सेट 220 केवी लाइन बे: 12 नं. 220 केवी सेक्शनलाइजेशन बे: 1 सेट 220 केवी बीसी एवं टीबीसी : 1 नं. बे सहित 220 / 132 केवी आईसीटी: 5 नं. 132 केवी लाइन बे: 16 नं. 132 केवी सेक्शनलाइजेशन बे: 1 सेट 132 केवी टीबीसी - 1 नं. एमएससी (2x125 एमवीएआर) सहित स्टेटकॉम (±300 एमवीएआर) एवं 400 केवी बे सहित एमएसआर (1x125 एमवीएआर) 	एसपीवी अंतरण से 24 मास (15.10.2026)	योजना के सभी घटकों को साथ-साथ आरंभ किया जाना अपेक्षित है चूंकि उनका उपयोग एक दूसरे पर आश्रित है।
	मंदसौर - कुरावर 765 केवी डी / सी लाइन		
	<p>मंदसौर - कुरावर 765 केवी डी / सी लाइन के दोनों सिरे पर प्रत्येक सर्किट पर 240 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर</p> <ul style="list-style-type: none"> 240 एमवीएआर, 765 केवी स्विचेबल लाइन रिएक्टर - 4 (मंदसौर सिरे के लिए 2 एवं कुरावर सिरे के लिए 2) 765 केवी लाइन रिएक्टर के लिए स्विचिंग उपकरण - 4 (मंदसौर सिरे के लिए 2 एवं कुरावर सिरे के लिए 2) 80 एमवीएआर, 765 केवी, 1-पीएच रिएक्टर (स्पेयर यूनिट) - मंदसौर सिरे के लिए 1 नं. 		
	मंदसौर - कुरावर 765 केवी डी / सी लाइन की समाप्ति के लिए मंदसौर एस / एस पर		

5.	कुरावर पर इंदौर - भोपाल 765 केवी एस / सी लाइन का लीलो
6.	कुरावर - आष्टा 400 केवी डी / सी (क्वेड एसीएसआर / एएसी / एएल59 मूज समतुल्य) लाइन
7.	कुरावर - आष्टा 400 केवी डी / सी लाइन की समाप्ति के लिए आष्टा (एमपी) एस / एस पर 400 केवी लाइन बे का 2 नं. • 400 केवी लाइन बे - 2 नं. [आष्टा (एमपी) सिरे के लिए]
8.	आष्टा पर इंदौर - इटारसी 400 केवी डी / सी लाइन के एक सर्किट का लीलो
9.	आष्टा पर इंदौर - इटारसी 400 केवी डी / सी लाइन के एक सर्किट के लीलो के लिए आष्टा (एमपी) एस / एस पर 400 केवी लाइन बे का 2 नं. • 400 केवी लाइन बे - 2 नं. [आष्टा (एमपी) सिरे के लिए]
10.	शुजलपुर - कुरावर 400 केवी डी / सी (क्वेड एसीएसआर / एएसी / एएल59 मूज समतुल्य) लाइन
11.	शुजलपुर - कुरावर 400 केवी डी / सी लाइन की समाप्ति के लिए शुजलपुर (पीजी) एस / एस पर 400 केवी लाइन बे का 2 नं. • 400 केवी लाइन बे - 2 नं. [शुजलपुर (पीजी) सिरे के लिए]

नोट:

क) एमपीपीटीसीएल ने आष्टा (एमपी) एस / एस पर 2 नं. 400 केवी बे के लिए स्थान की उपलब्धता की पुष्टि की है और अतिरिक्त बे 2 नं. के लिए, एमपीपीटीसीएल ने सूचित किया है कि निकटवर्ती भूमि प्राइवेट भूमि है और अपेक्षानुसार उनकी लागत पर परियोजना विकासकर्ता द्वारा क्रय की जा सकती है।

ख) ए, बी, सी, डी, ई, एफ, एच1 और एच2 पैकेजों का कार्यान्वयन सुयोजित किया जाएगा।

ग) विषयगत योजना का टीएसपी मंदसौर - कुरावर 765 केवी डी / सी लाइन पर अंतर-ट्रिपिंग योजना का कार्यान्वयन करेगा (मुख्य लाइन ब्रेकर सहित मंदसौर / कुरावर सिरे पर स्विचबल लाइन रिएक्टर की ट्रिपिंग के लिए।)

घ) स्विचबल लाइन रिएक्टरों को एनजीआर बाईपास व्यवस्था के साथ कार्यान्वित किया जाएगा।

ड) मंदसौर एस / एस का विकासकर्ता 240 एमवीएआर स्विचबल लाइन रिएक्टर के 2 नं. के लिए स्थान और स्पेयर 80 एमवीएआर सिंगल फेज रिएक्टर यूनिट के लिए स्थान सहित मंदसौर - कुरावर 765 केवी डी / सी लाइन के लिए 2 नं. 765 केवी लाइन बे के लिए स्थान प्रदान करेगा।

च) पावरग्रिड शुजलपुर - कुरावर 400 केवी डी / सी लाइन के लिए शुजलपुर एस / एस पर 2 नं. 400 केवी लाइन बे के लिए स्थान प्रदान करेगा।

छ) कार्यान्वयन टाइमफ्रेम : एसपीवी अधिग्रहण की तारीख से 24 मास।

2. सट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 6.11.2024 के अपने पत्र के माध्यम से प्रस्तावित पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।

3. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 491 / टीएल / 2024 में दिनांक 28.2.2025 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्लिखित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।

4. पावरग्रिड कुरावर ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट www.powergrid.in/subsidiaries पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है।

5. नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक 17.3.2025 तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. आयोग द्वारा दिनांक 19.3.2025 को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए / डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता / -
(हरप्रीत सिंह पुथी)
सचिव